भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY NO. 10/2017

विषय : **आगम पत्र देर से फाइल करने के लिए शुरू किए गए विलंब प्रभार के परिणामस्वरूप हो रही दिक्कतों का समाधान करना- संबंधित**

Subject: **Addressing the issues consequent to the introduction of Late Charges for delayed filing of Bill of Entry - Reg**

निर्यातकों, आयातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, स्टीमर एजेंओं और सभी अन्य पणधारियों का ध्यान केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के परिपत्र सं. 12/2017-कस्टम्स दिनांक 31.03.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 का संशोधन करते हुए आगम पत्र देर से फाइल करने पर विलंब प्रभार शुरू करने की सूचना दी गई और इसी विषय पर बोर्ड के अनुदेश सं. 12/2017-कस्टम्स दिनांक 31.08.2017 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of Exporters, Importers, Customs Brokers, Steamer Agents and all other stakeholders is drawn to the Central Board of Excise & Customs (CBEC) Circular No.12/2017- Customs dated 31.03.2017 communicating the introduction of Late Charges for delayed filing of Bill of Entry through the amendment of Section 46 of Customs Act, 1962. Attention is also invited to Board Instruction No.12/2017- Customs dated 31.08.2017 on the subject matter.

2. बार-बार सिस्टम खराब होने के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत आगम पत्र फाइल करने के नए दिशानिर्देशों का अनुसरण करने में पणधारियों को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर ऐसा कोई पर्याप्त कारण हो जिससे संबंधित अधिकारी को इस बात की संतुष्टि हो कि आगम पत्र फाइल करने में हुई देरी का दोष आयातक को नहीं दिया जा सकता है, तो संबंधित अधिकारी वास्तविक मामलों में आवश्यक छूट प्रदान करने के लिए उनको प्रदत्त शक्तियों का

उपयोग कर सकते हैं। अधिसूचना सं. 40/2012(एन.टी.) दिनांक 02.05.2012 के प्रावधानों के अनुसार इसके लिए संबधित अधिकारी अपर या संयुक्त सीमाशुल्क आयुक्त है।

Taking into consideration the difficulties, owing to frequent system failures, faced by the stakeholders in complying with the new guidelines for filing Bill of Entry under Section 46 of Customs Act, 1962, it is clarified that subject to the existence of sufficient cause to the satisfaction of the Proper Officer that the delay in the late presentation of Bill of Entry is not attributable to the Importer, the Proper Officers may exercise powers conferred on them to provide necessary relief in bona-fide cases. The Proper Officer in this regard is the Additional or Joint Commissioner of Customs as provided in Notification 40/2012- Cus (N.T) dated 02.05.2012.

3. विलंब प्रभार से छूट चाहने वाले सीमाशुल्क ब्रोकर या आयातक को निदेश दिए जाते हैं कि वे संबंधित अधिकारी के सामने जोब नंबर, आईसीईजीएटीई से जोब नंबर के स्क्रीनशोट/आईसीईजीएटीसे से मिले मेसेज जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आईसीईजीएटीई में किसी जोब को दायर करने के लिए आगम पत्रों को फाइल करने के प्रयास किए गए लेकिन आईसीईएस से ऐसे कन्साइनमेंटों के लिए कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला जैसे सबूत प्रस्तुत करें। इसके अलावा, विलंब से फाइल करने हेतु छूट संबंधी ऐसे सभी मामलों पर संबंधित अधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

The Customs Broker or the Importer seeking waiver of such late charges is directed to submit before the Proper Officer evidence like Job Number, Screenshots of the Job Number from ICEGATE/Message received in ICEGATE to show that efforts were made for submitting a job in ICEGATE for filing Bills of Entry but no positive acknowledgment was received from ICES for such consignments. Further, all such cases of waiver of late filing charges would be dealt with by the Proper Officer on merits.

4. बोर्ड द्वारा अधिसूचित उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणास्वरूप सभी पणधारियों से अपेक्षित है कि वे इसकी जानकारी लें और इसका अनुसरण करें।

Consequent to the above mentioned changes notified by the Board, all the stakeholders are required to take cognisance and comply with the same.

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त Principal Commissioner of Customs

जारी Issued to: All concerned, as per Mailing List.

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//बैजू डानियल BAIJU DANIEL//
मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

F.No.C1/05/2017 TU. Cus.
दिनांक Dated: 28.09.2017

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

1. The Chief Commissioner's Office
2. Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File & As per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes.

O/C

Received on 06/10 का प्राप्त
पत्राचार विभाग
Correspondence Dept.
सीमाशुल्क गृह, कोच्ची - 9
Custom House, Kochi - 9